Procedure for pilgrimage to Kailash Mansarovar

3600. SHRIMATI ANANDIBEN JETHABHAI PATEL: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of pilgrims who visited Mansarovar in China during 1992-93;

(b) what are the procedures to give permission for travel to Mansarovar:

(c) what are the facilities accorded to pilgrims for travel to Mansarovar by the! Government of India or China: and

(d) what are the difficulties faced by travellers to Mansarovar?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R. L. BHATIA): (a) to (d) 598 pilgrims visited Kailash Mansarovar in 1992 and 1993 under the Yatra organised by Government.

Government receive applications from Indian citizens who wish to travel to Kailash-Mansarovar. Applicants are •elected on a random basis and taking into account their medical fitness.

The facilities provided to pilgrims by the Government include, inter alia medical assistance, wireless cover, communication links with China, issuance of foreign exchange and aerial evacuation of pilgrims in case of emergency. Kumaon Mandal Vikas Nigam is responsi ble for the logistics on the Indian side. Facilities provided by the Chinese Government, include inter alia, boarding, lodging arrangement for guides and ponies|yaks, etc.

Most of the difficulties faced by pilgrims arise from the tough, terrain, high attitude and remoteness of the area. The ardous nature of the pilgrimage brings with it associated difficulties including medical problems in some cases:

पूर्ववर्ती सोवियत गणराज्यों में भारतीय छात्र

3601. **श्री जगन्नाथ सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 सितम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार पूर्ववर्ती सोवियत संघ के गणराज्यों में कितने भारतीय छात्र अध्ययनरत हैं;

(ख) क्या पूर्ववर्ती सोवियत संघ के गणराज्यों में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्तियां और शिक्षावृत्तियां दी जा रही हैं ; और

(ग) क्या इन सभी गणराज्यों से भारत के राजनयिक संबंध हैं और क्या इन गणराज्यों में भारतीय दूतावास स्थापित किये गये हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : (क) पूर्व सोवियत संघ के स्वतंत्र राज्यों में अध्ययनरत भारतीय विद्यार्थियों की सही-सही संख्या उपलब्ध नहीं है क्योंकि इन विद्यार्थियों से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे राजदूतावासों में अपना नाम पंजीकृत करायें । तथापि, हमारे मिशनों में उपलब्ध वर्ष 1994–95 के आंकड़ों के अनुसार इन देशों में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों की संख्या लगभग 5078 है ।

(ख) जहां तक छात्रवृत्तियों और फलोशिप का संबंध है, सरकार से सरकार के आधार पर प्रायोजित किये जाने वाले विद्यार्थियों से संबंधित सूचना उपलब्ध है । उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रायोजित किये गये उन विद्यार्थियों की संख्या जो इस समय पूर्व सोवियत संघ के अलग-अलग राज्यों में शिक्षा सुविधायें प्राप्त कर रहे हैं, लगभग 2000 है ।

(ग) भारत ने पूर्व सोवियत संघ के सभी स्वतंत्र राज्यों के साथ अपने। राजनयिक संबंध स्थापित कर लिये हैं ।